Regarding inclusion of Kasaudhan Caste of Jharkhand in the central list of OBCs - laid

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि कसौधन जाति एकीकृत बिहार राज्य में एवं झारखण्ड अलग राज्य बनने के बाद भी राज्य की ओबीसी की सूची में शामिल है परंतु केन्द्रीय ओबीसी की सूची में शामिल नही है। विदित है कि उक्त जाति समाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई है। कसौधन जाति के लोग पलामू संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ झारखण्ड के अन्य जिलों में बड़ी संख्या में निवास करते है तथा उनकी काफी दिनों से मांग रही है कि केन्द्रीय ओबीसी की सूची में उन्हें सम्मिलित किया जाय। उक्त संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के सचिव के Letter No &14/Vi-Vi-Pa&10&02/2019 Ka 4194 (अनु), दिनांक 28/08/2020 को समाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव को पत्र लिखकर अन्य जातियों के साथ-साथ कसौधन जाति को केन्द्रीय ओबीसी की सूची में शामिल करने हेतु भेजा गया है। अतः समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा भेजे गए उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए कसौधन जाति को केन्द्रीय ओबीसी की सूची में सम्मिलित करने की कृपा की जाय।